संख्या– 1174/xxxii(1)/2019–01(तीन)(324)/2016

प्रेषक

प्रदीप सिंह रावत
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

संयुक्त सचिव (लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादून दिनांक : 29 अक्टूबर, 2019

विषय :– राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन मिलन विहार कालोनी स्थित आवास संख्या आर0एस0वी0–12 में सिविल अनुरक्षण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत् कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित स्वीकृति योग्य संस्तुत धनराशि ₹ 3.94 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके निर्वतन में रखी गयी धनराशि में से **समतुल्य** धनराशि **₹ 3.94 लाख (₹ तीन लाख चौरानवे हजार मात्र)** को स्वीकृत करते हुये अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को व्यय किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन की धनराशि	परीक्षणोपरान्त स्वीकृति योग्य संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1.	मिलन विहार कालोनी स्थित आवास संख्या आर0एस0वी0–12 में सिविल अनुरक्षण का कार्य।	₹ 3.94 लाख	₹ 3.94 लाख
		योग–	₹ 3.94 लाख

2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि ₹ 3.94 लाख का निम्न शर्तों के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायेगा :–

(1) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रश्नगत कार्य तत्काल प्रारम्भ करा लिया जायेगा।
(2) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करते हुए पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री का क्रय GeM Portal के माध्यम से किया जाए।
(3) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणन में उल्लिखित कार्य इसी वित्तीय वर्ष में सम्पादित करा लिया जायेगा।
(4) आगणन में प्राविधान/दर/मात्रा/धनराशि तथा विवरण आदि किसी भी प्रकार कें अन्तर/पुनरावृत्ति के लिए विभागीय टी0ए0सी0 तथा विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होगे।
(5) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरुप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
(8) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें।
(9) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रुप से प्राप्त कर ली जाये।
(10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–2047/XXXiv–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
(11) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
(12) एक मद की धनराशि दूसरी मद पर कदापि व्यय न की जाये।

क्रमशः.....

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य सम्पादित/पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त तत्काल अध्यासी तथा वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी(आवास)रा0स0वि0 से संतोषजनक/संतुष्टिपरक कार्य किये जाने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर तत्सम्बन्धी यू0सी0/कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र सहित शासन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यदि कार्यो हेतु धनराशि की पुनरावृत्ति की गई होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) आवासीय/अनावासीय भवनों में अनुरक्षण/मरम्मत/निर्माण कार्यो हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें किये गये कार्यो को अंकित किया जाय।

(16) उक्त कार्य हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(17) आयकर की कटौती संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।

(18) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा।

3– संयुक्त सचिव (लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा धनराशि ₹ 3.94 लाख (₹ तीन लाख चौरावने हजार मात्र) को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को चैक/ड्राफ्ट/ऑन लाईन के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड का GSTIN 05MRTS01692FIDU, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा (देहरादून) में खाता संख्या–डी.सी.एल. 01 G 03099751–42, 10901749521, आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या–SBIN0000630 तथा पैन/टैन नं0–MRTSO 1692 F है।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–00–091–संलग्न कार्यालय–03–राज्य सम्पत्ति विभाग–29–अनुरक्षण के नामे डाला जाएगा।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या– 1174/xxxii(1)/2019–01(तीन)(324)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (उत्तराखण्ड), (महालेखाकार भवन), कौलागढ़, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5– वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी(आवास)रा0स0वि0, सचिवालय परिसर।
6– सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0/नियोजन अनुभाग/सम्बन्धित अध्यासी।
9– गार्ड फाईल।

IT head

आज्ञा से

(जे0एल0 शर्मा)
उप सचिव।

पृ0 सं0- 999 /20 भाता0 क /19 दि0- 14-11-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य अभि0 को0का0 लो0नि0वि0 देहरादून।
(2) अधीक्षण अभि0 ए0वा0सल लो0नि0वि0 देहरादून।
(3) अधिशासी अभि0 नि0 ख0 लो0नि0 वि देहरादून।
(4) अधिशासी अभि0 आई0टी0 सैल विभागाध्यक्ष कार्या0 लो0नि0वि0 देहरादून।
(5) कनिष्ठ अभि0(प्रा0)/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्या0 लो0नि0वि0 देहरादून।
(6) प्रशासनिक अधि0 नि0 III वर्ग विभागाध्यक्ष कार्या0 लो0 नि0 वि0 देहरादून।

11/10/19

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून